भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2392
17 दिसंबर, 2021 को जवाब दिया

जूट उद्योग का कायाकल्प किया जाना

2392. डा. अभिषेक मनु सिंघवीः

क्या वस्त्रमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंत्रालय ने भारत के पूर्वी भाग में दम तोड़ते जूट उद्योग के कायाकल्प के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) गंभीर प्रतिस्पर्धा और बांग्लादेशी सस्ता आयात की समस्या से निपटने के लिए मंत्रालय ने क्या-क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) जूट बेलरों को मिलों द्वारा समय पर भुगतान किया जाना सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने क्या-क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क): पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकेजिंग वस्तुओं का अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत सरकार उन वस्तुओं और उनकी सीमा विनिर्दिष्ट करती है जिन्हें पटसन पैकेजिंग सामग्री में अनिवार्य रूप से पैक किया जाना अपेक्षित होता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, पटसन थैलों में 100% खाद्यान्नों और 20% चीनी को पैक किया जाना अपेक्षित है। चीनी और खाद्यान्नों की अनिवार्य पैकिंग को अधिदेशित करने वाले आदेश से, पिछले तीन दशकों से भारत के पटसन उद्योग को काफी सहायता मिली है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) द्वारा भारत के पूर्वी भाग सहित पूरे देश में पटसन क्षेत्र के विकास और संवर्धन के लिए निम्नलिखित संवर्धानात्मक योजनाओं/क्रियाकलापों को क्रियान्वित किया गया है।

(i) जूट आई-केयर:

जूट आईकेयर (उन्नत खेती और रेटिंग प्रक्रिया) योजना, कच्ची पटसन के उत्पादन की गुणवत्ता और उपज में सुधार के लिए क्रियान्वित की जा रही है। अभी तक पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा के 1,25,000 हेक्टेयर भूमि के 140 ब्लॉकों को शामिल किया गया है और इस योजना से इन राज्यों के 3,00,000 किसानों को लाभ मिला है।

(ii) संयंत्र और मशीनरी के अधिग्रहण हेतु प्रोत्साहन योजना (आईएसएपीएम):

पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए वर्ष 2014-15 से वर्ष 2020-21 के दौरान पटसन मिलों और जेडीपी इकाइयों को 7176.26 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि जारी की गई है।

(iii) निर्यात बाजार विकास सहायता योजना:

योजना ने पटसन उत्पादों के पंजीकृत निर्माताओं और निर्यातकों को जीवन शैली और अन्य जेडीपी के निर्यात संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेलों और विदेश में व्यवसायिक प्रतिनिधिमंडल में भाग लेने की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से 2019-20 के दौरान 2005.87 लाख रुपए संवितरित किए हैं।

(iv) पटसन विविधीकृत उत्पादों के खुदरा आउटलेट तथा थोक आपूर्ति योजना-

खुदरा आउटलेट योजना देशभर में, जेडीपी के प्रसार को बढ़ाने के लिए चयनित और भारी मात्रा में खपत करने के लिए जेडीपी की आपूर्ति श्रृंखला और थोक आपूर्ति के लिए सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2014-15 से 2020-21 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 91 पटसन उद्यमियों को 370.59 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है।

(v) पटसन एकीकृत विकास योजना (जेआईडीएस)-

पटसन विविधीकृत उत्पादों के उत्पादन के लिए सहयोगी एजेंसियों के माध्यम से मूलभूत उन्नत और डिजाइन विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना और पटसन विविधीकृत क्षेत्र के लिए कुशल कार्यबल बढ़ाना। वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान 65 सहयोगी एजेंसियों को तैनात किया गया है, जिन्होंने डब्ल्यूएचएसजी से संबंधित 1300 नए पटसन कारीगरों और ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है।

(vi) पटसन कच्ची सामग्री बैंक (जेआरएमबी) योजना –

पटसन विविधीकृत उत्पादों के उत्पादन के लिए एमएसएमई जेडीपी इकाईयों को मिल गेट मूल्य पर पटसन कच्ची सामग्री की आपूर्ति करने के लिए वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान एनजेबी में 61 सहयोगी एजेंसियों को तैनात किया गया है और 344.97 लाख रुपए व्यय किया गया है।

15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए (वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26) पटसन क्षेत्र के विकास और संवर्धन के लिए 485.58 करोड़ रुपए के परिव्यय से राष्ट्रीय पटसन विकास कार्यक्रम (एनजेडीपी) नामक एक वृहद कार्यक्रम अनुमोदित किया गया है। एनजेडीपी में राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) द्वारा क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित योजनाएं/उप-योजनाएं शामिल हैं।

1. **जूट-आईकेयर (उन्नत खेती और रेटिंग प्रक्रिया) योजना** –कच्ची पटसन के उत्पादन की गुणवत्ता और उपज में सुधार के लिए।

2. **पटसन विविधीकरण योजना (जेडीएस)**

उप-योजनाएं:

- **पटसन विविधीकृत उत्पादों के लिए संयंत्र और मशीनरी (सीएसएपीएम) के अधिग्रहण के लिए पूंजीगत सहायता** – मौजूदा पटसन मिलों और एमएसएमई जेडीपी इकाइयों के आधुनिकीकरण/उन्नयन की सुविधा के लिए, पटसन विविधीकृत उत्पादों का निर्माण।
- **पटसन संसाधन एवं उत्पादन केंद्र (जेआरसीपीसी)** - नए कारीगरों और डब्ल्यूएसएचजी को प्रशिक्षण के माध्यम से पटसन विविधीकरण कार्यक्रम का प्रसार करना और जेडीपी के उत्पादन के लिए सतत रोजगार।
- **जूट कच्चा माल बैंक (जेआरएमबी)** – पटसन कारीगरों, एमएसएमई जेडीपी उत्पादन इकाइयों और जेआरसीपीसी के लाभार्थियों को मिल गेट मूल्य पर पटसन विविधीकृत उत्पादों के निर्माण के लिए पटसन कच्चे माल की आपूर्ति करना।

- **जूट रिटेल आउटलेट (जेआरओ)** - रिटेल आउटलेट्स/शोरूम के माध्यम से जेडीपी के संवर्धन और बिक्री के लिए मौजूदा और नए कारीगरों/उद्यमियों को सुविधा प्रदान करना।
- **पटसन डिजाइन संसाधन केंद्र (जेडीआरसी.)** - मौजूदा और नए जेडीपी विनिर्माताओं/निर्यातकों की मदद करते हुए बाजार योग्य नवोन्मेषी जेडीपी का डिजाइन और विकास करना।
- **उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई)** - जेडीपी का निर्यात करने वाली पटसन मिलों और एमएसएमई जेडीपी इकाइयों को जेडीपी के लिए निर्यात आदेश प्राप्त करने में मदद करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उनको लागत प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सहयोग दिया जाना।

3. **बाजार विकास और संवर्धन योजना (एमडीपीएस)** - घरेलू/निर्यात बाजार में जेडीपी के संवर्धन और बिक्री के लिए जेडीपी उद्यमियों/निर्यातकों को सहायता प्रदान करने के लिए, गुणवत्ता के प्रमाणीकरण के लिए जूट मार्क लोगो का विकास, पर्यावरण अनुकूल उत्पाद के रूप में पटसन को लोकप्रिय बनाने के लिए जेडीपी प्रचार अभियान।

4. **जूट मिलों/एमएसएमई जेडीपी इकाइयों के कामगारों की बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति योजना -** माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर जूट मिल्स/जेडीपी-एमएसएमई इकाइयों के कामगारों की बालिकाओं की सहायता प्रदान करना।

(ख): पटसन आयुक्त ने पटसन एवं पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2000 के तहत दिनांक 04-07-2002 को अधिसूचना संख्या 698 (ई) जारी की थी जिसमें सभी विनिर्माताओं, आयातकों, प्रसंस्करणकर्ताओं और व्यापारियों को पटसन और पटसन के वस्त्रों की वस्तुओं पर कुछ शब्दों को चिह्नित/प्रिंट/ब्रांड करने का निर्देश दिया गया था। पटसन थैलों के आयात के मामले में, "बैग मेड इन- कंट्री ऑफ ओरिजिन" शब्द अंकित/मुद्रित/ब्रांडेड होना आवश्यक है। इस अधिसूचना को जारी करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब तक पटसन के थैलों में निर्धारित वस्तुओं का प्रतिशत पैक नहीं किया जाता है तब तक आयातित पटसन के थेलों का उपयोग खाद्यान्न और चीनी क्षेत्रों में नहीं किया जाएगा

इसके अलावा, वित्त मंत्रालय ने घरेलू बाजार की रक्षा के लिए 5 जनवरी, 2017 की अधिसूचना के तहत बांग्लादेश और नेपाल से पटसन की वस्तुओं के आयात पर पाटन रोधी शुल्क लगाया है।

(ग): पटसन मिलों से भुगतान के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर**,** पटसन आयुक्त का कार्यालय, पटसन किसानों और जूट बेलरों को शीघ्र भुगतान करने का मामला पटसन उद्योग के साथ विभिन्न बैठकों और संवाद के माध्यम से उठाता है।
